

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 01 / 2019

अपीलार्थी—

बनाम

उत्तरदाता—

खंगारसिंह पुत्र गंगासिंह जाति

नायब तहसीलदार जसोल

राजपूत निवासी सिमालिया उप

तहसील जसोल तहसील पचपदरा

जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 26.12.2018 जो प्रकरण सं. 197 / 2018 मे उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 26 / 02 / 2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप तहसीलदार जसोल द्वारा प्रकरण सं. 197 / 2018 सरकार बनाम खंगारसिंह मे पारित निर्णय दिनांक 26.12.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का कालुडी द्वारा उप तहसीलदार जसोल के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सिमालिया के खसरा नम्बर 274 / 38 रकबा 01-11 बीघा किस्म गैर मुमकीन रड़ी सरकारी भूमि मे से 00-03 बीघा पर गैर सायल खंगारसिंह द्वारा बाड़ा बनाकर कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर उप तहसीलदार जसोल द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान




जिला कलक्टर
बाड़मेर

भू-राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल ने दौरान सुनवाई उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया। इस पर उप तहसीलदार जसोल द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 26.12.2018 के द्वारा 2/- रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 28.12.2018 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना मात्र 20 दिन में प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में विषय वस्तु के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबूत व दस्तावेज अभिलेख पर नहीं लिये गये तथा केवल मुद्रित प्रफोर्मा के आधार पर आदेशिका की सील लगाकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया। आदेशिका एवं निर्णय में कांट-छांट की गई है जिसमें निर्णय पर हस्ताक्षर में अधिनस्थ

अधिकारी द्वारा दिनांक 26.12.2018 अंकित की गई है जबकि निर्णय में



आदेश जारी करने की तिथी 13.12.2018 अंकित है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय संशयप्रद है।

6. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि मौजा सिमालिया के खसरा नम्बर 274/38 गैर मुमकीन रड़ी की भूमि पर अपीलांट के अलावा दीपसिंह, शंभुसिंह व अन्य कई ग्रामीण वर्षों से अपने रहवासीय पक्के मकान बनाकर निवास कर रहे हैं और उक्त भूमि ग्राम पंचायत द्वारा गांव में आबादी विस्तार हो जाने के कारण गैर मुमकीन आबादी में संपरिवर्तन किये जाने के लिये सरकारी स्तर पर प्रस्तावित है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना राजनैतिक दबाव में आकर अपीलांट को आर्थिक रूप से हानि पहुंचान के आशय से उक्त अपीलाधीन आदेश बेदखली का पारित किया है जो अपास्त व निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किये जाने का आदेश फरमावे।

7. रेस्पोंडेंट की ओर से जवाब में पैरोकार सरकार ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरुद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा सिमालिया के खसरा नम्बर 274/38 रकबा 01-11 बीघा किस्म गैर मुमकीन रड़ी भूमि में से 00-03 बीघा पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई स्वयं अपीलांट द्वारा उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया तथा अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित किये हैं। इस प्रकार अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि पर स्वयं कब्जा कर अतिक्रमण करना स्वीकार किया है तथा इस पर अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील स्मरहीन होने से खारिज की जाए।




जिला कलेक्टर
वाडमेर

8. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व अधिपत्य को ग्राम पंचायत कालुड़ी के द्वारा गांव सिमालिया की आबादी विस्तार होने से गैर मुमकीन भूमि को गैर मुमकीन आबादी में संपरिवर्तन किये जाने के प्रस्ताव सरकारी स्तर पर प्रस्तावित होना प्रकट किया है, किन्तु इसके समर्थन कोई दस्तावेजी साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई दिनांक 26.12.2018 को वह स्वयं उपस्थित हुआ है तथा आदेशिका पर उसकी उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित हैं। जब स्वयं अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया है तो फिर अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि विधि यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि स्वीकारोक्ति स्वयं सर्वोत्तम साक्ष्य है। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश में निर्णय तारीख का गलत अंकन लिपिकीय भूल होना स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है, जैसाकि आदेशिका एवं अधिनस्थ अधिकारी द्वारा अंकित तिथि में समानता है। इसके बावजूद भी यह लिपिकीय त्रुटि अपीलाधीन निर्णय के प्रकृति के प्रति इतनी सारभूत नहीं है। अपीलांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा अधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।




जिला कलेक्टर
बाड़मेर

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2018 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर उप तहसीलदार जसोल को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।



10. आदेश आज दिनांक 26.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलकट्टा, बाडमेर
बाडमेर